<u>समाचार</u>

<u>15 फरवरी से वार्डो में लगेंगे राजस्व वसूली शिविर</u>

कोरबा 12 फरवरी 2021 –नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सम्पत्तिकर, समेकित कर, शिक्षा उपकर, 05 प्रतिशत जलकर, दुकान किराया एवं जलकर आदि की वसूली हेतु 15 फरवरी से 03 मार्च तक निर्धारित कार्ययोजना अनुसार वार्डो में तिथिवार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने तदाशय का आदेश जारी कर शिविर हेतु अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती की है तथा निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार वार्डो में शिविर लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।

निगम द्वारा करदाताओं, नागरिकों की सुविधा हेतु बकाया एवं वर्तमान करों की वसूली के संबंध में निगम के वार्डो में निर्धारित कार्ययोजना अनुसार 15 फरवरी से राजस्व वसूली शिविरों का आयोजन किया जाना हैं, यह शिविर प्रातः 10.30 बजे से 4.00 बजे तक लगाए जाएंगे। निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार **15 फरवरी को** वार्ड क्र. 01 दलिया गोदाम, वार्ड क्र. 02 तुलसीनगर सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 23 आंगनबाड़ी केन्द्र कृष्णानगर, वार्ड क्र. 17 पथर्रीपारा सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 34 अमरसिंह होटल के पास सार्वजनिक मंच, वार्ड क्र. 43 कलमीडुग्गू सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 54 दशहरा मैदान दुर्गा पण्डाल, वार्ड क्र. 63 बांकी बस्ती स्कूल के पीछे शिविर लगाए जाएंगे। इसी प्रकार **16 फरवरी को** वार्ड क्र. 01 दुर्गा चौक पटेलपारा, वार्ड क्र. 02 तुलसीनगर सामदायिक भवन, वार्ड क्र. 23 आंगनबाड़ी कृष्णानगर, वार्ड क्र. 17 पथर्रीपारा सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 34 अमरसिंह होटल सार्वजनिक मंच, वार्ड क्र. 43 जयभगवान गली दर्री, वार्ड क्र. 54 दशहरा मैदान दुर्गा पण्डाल, वार्ड क्र. 63 मढ़वाडोढ़ा सामुदायिक भवन में वसूली शिविर लगेंगे। **17 फरवरी को** वार्ड क्र. 04 ब्राम्हण मोहल्ला, वार्ड क्र. 03 सामुदायिक भवन राताखार, वार्ड क्र. 24 दुर्गा पण्डाल एम.पी.नगर, वार्ड क्र. 18 गणेश पण्डाल पथर्रीपारा, वार्ड क्र. 35 हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 44 प्रेमनगर आंगनबाड़ी, वार्ड क्र. 56 पंखादफाई, वार्ड क्र. 63 बांकी बस्ती सामुदायिक भवन में शिविर लगाए जाएंगे। **18 फरवरी को** वार्ड क्र. 04 प्रताप चौक, वार्ड क्र. 03 सामुदायिक भवन राताखार, वार्ड क्र. 24 दुर्गा पण्डाल एम.पी.नगर, वार्ड क्र. 20 कांशीनगर नवधा पण्डाल, वार्ड क्र. 35 हाउसिंग बोर्ड सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 45 स्याहीमुड़ी सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 56 शांतिनगर बाजार के पास, वार्ड क्र. 64 घुड़देवा मद्रासी होटल के पास शिविर लगेंगे। **19 फरवरी को** वार्ड क्र. 05 सिंधी गुरूद्वारा, वार्ड क्र. 13 पन्द्रह ब्लाक गणेश पण्डाल, वार्ड क्र. 25 कुआंभट्ठा, वार्ड क्र. 20 कांशीनगर नवधा पण्डाल, वार्ड क्र. 36 बरगद चौक सार्वजनिक मंच, वार्ड क्र. 46 अयोध्यापुरी उरांव मोहल्ला, वार्ड क्र. 57 आनंदनगर सामुदायिक भवन, वार्ड क्र. 64 घुड़देवा मद्रासी होटल के पास शिविर लगाए जाएंगे। इसी प्रकार **20 फरवरी को** वार्ड क्र. 06 पुरानी बस्ती भण्डारी चौक, वार्ड क्र. 13 टी.पी.नगर जोन कार्यालय स्टेडियम, वार्ड क्र. 25 कुआंभट्ठा, वार्ड क्र. 21 गणेश पण्डाल बुधवारी, वार्ड क्र. 36 सामुदायिक भवन इंदिरा मार्केट, वार्ड क्र. 46 पण्डाल पावरसिटी रोड अयोध्यापुरी, वार्ड क्र. 58 इमलीछापर चौक, वार्ड क्र. 64 घुड़देवा मद्रासी होटल के पास शिविर लगेंगे। **22 फरवरी को** वार्ड क्र. 07 सामुदायिक भवन गोकुलगंज, वार्ड क्र. 14 सार्वजनिक मंच पम्प हाउस, वार्ड क्र. 25 कुआंभट्ठा, वार्ड क्र. 21 गणेश पण्डाल बुधवारी, वार्ड क्र. 37 गणेशनगर, वार्ड क्र. 47 जमनीपाली चौक के समीप बीच बस्ती, वार्ड क्र. 59 वैशालीनगर, वार्ड क्र. 65 अग्रसेन भवन बांकी मेन रोड में शिविर लगेंगे। **23 फरवरी को** वार्ड क्र. 08 कुम्हार मोहल्ला, वार्ड क्र. 14 सार्वजनिक मंच पम्प हाउस, वार्ड क्र. 26 गणेश पण्डाल मुड़ापार, वार्ड क्र. 22 शिवाजीनगर दुर्गा पण्डाल, वार्ड क्र. 39 कैलाशनगर सार्वजनिक मंच, वार्ड क्र. 47 गोपालपुर स्कूल के समीप सारथी मोहल्ला, वार्ड क्र. 59 विद्यानगर एवं वार्ड क्र. 65 बांकी क्र.–2 सामुदायिक भवन में शिविर लगेंगे। इसी प्रकार क्रमशः अन्य वार्डो में भी तिथिवार राजस्व वसूली शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

<u>शिविरों में पहुंचकर करें बकाया करों का भुगतान</u>– नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम के करदाताओं से अपील करते हुए कहा गया है कि जिन करदाताओं पर सम्पत्तिकर, समेकित

कर, शिक्षा उपकर, 05 प्रतिशत जलकर, दुकान एवं मकान किराया, जलकर, आदि की राशि बकाया है, वे करदाता अपने वार्ड लगे वसूली शिविर स्थलों पर पहुंचकर बकाया राशि का भुगतान निर्धारित तिथि एवं स्थान में करें। निगम के देय करों के भुगतान का उत्तरदायित्व करदाता के स्वयं का ही है, अतः अनुरोध है कि वे अपना कर स्वविवरणी भरकर आवश्यक रूप से निगम कोष में जमा करें। निर्धारित समयसीमा में स्वेच्छा से बकाया सहित सम्पूर्ण राशि जमा करने पर करदाता को वर्तमान सत्र के सम्पत्तिकर में 6.25 प्रतिशत छुट प्रदान की जाएगी। करदाताओं से कहा गया है कि जिन नए भवन, मकान एवं अन्य सम्पत्तियों में सम्पत्तिकर स्वनिर्धारण अभी नहीं किया गया है वे स्वविवरणी फार्म भरकर अपने संबंधित जोन कार्यालय में राशि तत्काल जमा कराएं तथा अर्थदण्ड से बचे।